1085
संख्याः /15-11-2011

प्रेषक,

अनिल संत,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग--11 लखनऊ। दिनांकः 27 जून,2011

विषयः निजी संस्थानों को बीटीसी/एनटीटी पाठ्यक्रम की मान्यता देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्तुति करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः रा.शै./4579/2011-12 दिनांकः09-06-2011 में प्राप्त प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी की गयी नवीनतम अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2009 की धारा (7) में निम्नवत उल्लेख है –

3. One receipt of the communication, the State Government or Union Territory Administration concerned shall furnish its recommendations or comments on the applications to the office of the Regional Committee concerned within 45 days from the date of issue of the letter to the State Government or Union Territory Administration is not in favour of recognition, it shall provide detailed reasons or grounds thereof with necessary statistics, which shall be taken into consideration by the Regional Committee concerned while disposing of the application.

4- If the recommendation of the State Government is not received within a period of 45 days from the date of the issue of letter to the State Government, the Regional Committee concerned shall send a reminder to the State Government providing further time of another 30 days from the date of issue of the reminder letter to furnish their comments on the proposal. Thereafter, on expiry of this period, the matter shall be placed before the Regional Committee alongwith the recommendation of the State Government, if received. Placing the application before the Regional Committee shall not be deferred on account of non-receipt of comments or recommendation of the State Government.

उपरोक्त प्राविधानानुसार कि निजी संस्थानों को मान्यता देने से पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना अभिमत/संस्तुति प्रस्तुत करें।

2--इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र दिनांकः09-06-2011 परः सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निजी संस्थानों को बीटीसी/एनटीटी पाठ्यकम की मान्यता देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अपनी अनापत्ति/संस्तुति प्रस्तुत करने के संबंध मे निम्न बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण किया जाना होगा--

1. संस्थान को संचालित करने वाली सोसायटी रजिस्टर्ड एवं अद्यतन नवीनीकृत होनी चाहिए।
2. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित भूमि संस्थान के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए।
3. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु कम से कम 2500 वर्गमी भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।
4. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु 1500 वर्गमी का निर्मित क्षेत्रफल होना चाहिए।
5. दो शिक्षण कक्ष जिसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कम से कम 500 वर्गफुट होनी चाहिए।
6. शिक्षण कक्ष के अतिरिक्त कम से कम 10 कक्ष और होने चाहिए।

---2---

7 पुस्तकालय एवं वाचनालय की माप कम से कम 1000 वर्गफुट होनी चाहिए।

8. खेल का मैदान कम से कम 200 वर्गमी आयताकार स्थल वांछनीय होगा।

9. बहुउद्देशीय हाल (Mutlipurpose Hall) 2000 वर्गफुट का होना चाहिए।

10. संस्थान के आय–व्यय के विवरण के संबंध में रजिस्टर्ड चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित बैलेस शीट होना चाहिए।

3—इसी क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निजी संस्थान को बीटीसी/एनटीटी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु मान्यता प्रदान करने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु अभिलेखों के परीक्षण हेतु मण्डल स्तर पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है—

1.	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो भू-राजस्व के नियमों से भिज्ञ हों	सदस्य
3.	संबंधित जनपद का प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य सचिव
4	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	सदस्य

उक्त समिति का यह दायित्व होगा कि वह संस्था से प्राप्त अभिलेखों का परीक्षण, स्थलीय निरीक्षण एवं भू–अभिलेखों आदि के आधार पर कराकर कराकर समयबद्ध रूप से उपर्युक्त विषयक पाठ्यक्रम संचालन के सन्दर्भ में 15 दिन के भीतर अनापत्ति पत्र जारी करेगी। उक्त संस्तुति यदि संस्था को अनापत्ति दिये जाने के पक्ष में नही है तो वह आवश्यक आकड़ों सहित विस्तृत कारणों अथवा आधार निदेशक,राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेगें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न निजी संस्थाओ से बी.टी.सी.पाठयक्रम संचालन हेतु प्राप्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र एवं उनके संलग्न अभिलेखो, जो शासन स्तर पर प्राप्त हुए थे, तथा आख्या/संस्तुति हेतु आपको प्रेषित किये गये थे, उन्हे मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ प्रेषित करा दिया जाए तथा भविष्य में निजी संस्थाओ द्वारा बीटीसी/एनटीटी पाठयक्रम की सम्बद्धता हेतु अनापत्ति विषयक समस्त अभिलेख मंडलीय समिति के समक्ष ही प्रेषित कराने तथा उनके समयबद्ध निस्तारण के बाद में सुविचारित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय

(अनिल संत)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—समस्त मण्डलायुक्त।
2—समस्त जिलाधिकारी।
3—राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0।
4—शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, शिविर कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5—शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।
6—सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7—समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को इस निर्देश के साथ की शीघ्र समिति की बैठक आहूत कर प्रकरण पर निर्णय करायें।
8—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
9—सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

आज्ञा से

(बालकृष्ण दुबे)
विशेष सचिव

Jen/Email 30/6/11

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः राशै0 / निशिसं / 7091-328 /2011-12 दिनांक 30-6-2011

विषयः-- निजी संस्थानों को बीटीसी / एनटीटी पाठ्यक्रम संचालन की मान्यता देने से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1085 / 15-11-2011 शिक्षा अनुभाग-11, लखनऊ दिनांक 27.06.2011 *(प्रतिसंलग्न)* द्वारा निजी संस्थानों को बीटीसी / एनटीटी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु मान्यता प्रदान करने से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने हेतु अभिलेखों के परीक्षण हेतु मण्डल स्तर पर निम्नवत समिति का गठन किया गया है--

1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो भू राजस्व के नियमों से भिज्ञ हो सदस्य	सदस्य
3.	संबंधित जनपद का प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य सचिव
4.	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	सदस्य

शासनादेश दिनांक 27.06.2011 के अनुसार निजी संस्थानों को बीटीसी / एनटीटी पाठ्यक्रम की मान्यता देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अपनी अनापत्ति / संस्तुति प्रस्तुत करने के संबंध में निम्न बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण किया जाना होगा--

1. संस्थान को संचालित करने वाली सोसायटी रजिस्टर्ड एवं अद्यतन नवीनीकृत होनी चाहिए।
2. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित भूमि संस्थान के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए।
3. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु कम से कम 2500 वर्गमी भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।
4. आवेदित पाठ्यक्रम हेतु 1500 वर्गमी का निर्मित क्षेत्रफल होना चाहिए।
5. दो शिक्षण कक्ष जिसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कम से कम 500 वर्गफुट होनी चाहिए।
6. शिक्षण कक्ष के अतिरिक्त कम से कम 10 कक्ष और होने चाहिए।
7. पुस्तकालय एव वाचनालय की माप कम से कम 1000 वर्गफुट होनी चाहिए।
8. खेल का मैदान कम से कम 200 वर्गमी आयताकार स्थल वांछनीय होगा।

9. बहुउद्देशीय हाल (Multipurpose Hall) 2000 वर्गफुट का होना चाहिए।

10 संस्थान के आय–व्यय के विवरण के सबंध में रजिस्टर्ड चार्टेड एकाउटेंट द्वारा हस्ताक्षरित बैलेंस शीट होना चाहिए।

उपरोक्त समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 27.06.2011 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निजी संस्थानों की पत्रावलियों पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने विषयक कार्यवाही 15 दिन के भीतर की जानी है। समिति द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र **क्षेत्रीय निदेशक**, राष्ट्रीय अध्यापक **शिक्षा परिषद**, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए–46, शांतिपथ, तिलकनगर, जयपुर– 302004 (राजस्थान) को उपलब्ध कराया जाना है। यदि समिति संस्थान को अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने के पक्ष में नही है तो वह आवश्यक ऑकड़ों सहित विस्तृत कारणों अथवा आधार निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायेगें।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासनादेश दिनांक 27.06.2011 में उल्लिखित निर्देशों/शर्तों के अनुसार निजी संस्थानों को बीटीसी/एनटीटी पाठ्यक्रम संचालन हेतु मान्यता से पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र विषयक कार्यवाही सपादित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0 राशै0 /निशिसं/ 7091–328 /2011–12 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ0प्र0।
2. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, शिविर कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।
4. विशेष सचिव, शिक्षा अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थान को इस निर्देश के साथ कि **शीघ्र** समिति की बैठक आहूत कर प्रकरण पर निर्णय करायें।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
8. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ए–46, शांतिपथ, तिलकनगर, जयपुर– 302004 (राजस्थान) ।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ